...की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकरी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित
1	2	3

12/3/2020

न्यायालय अन्तर्गत अनुमंडल दण्डाधिकारी, राजमहल।
क्रि0मि0 वाद सं0– 31/2020
प्रथम पक्ष– फुरकान मिर्जा
बनाम
द्वितीय पक्ष– कालू मिर्जा वगै0
दं0प्र0सं0 की धारा 144 के अधीन कार्यवाही
आदेश

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिल आवेदन पत्र के अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि जमीन से संबंधित विवाद को लेकर पक्षों के बीच सार्वजनिक शांति भंग की संभावना है। जिससे संतुष्ट होकर वाद की कार्यवाही दं0प्र0सं0 की धारा 144 के अधीन कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

विवादित भूमि का विवरण

मौजा	ज0नं0	दाग नं0	रकवा	चौहद्दी उत्तर	चौहद्दी दक्षिण
दरियापुर	48	60	01–05–08	मौजा लाधोपाड़ा	फेकु शेख
		61	01–07–04	–	–
		126	02–06–12	बरदाशु देवी	विभूति भूषण

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मौजा दरियापुर, जमाबंदी नं0– 48, दाग नं0– 60 का रकवा 01 बीघा 05 कट्ठा 08 धूर एवं दाग नं0– 61 में रकवा 01 बीघा 07 कट्ठा 04 धूर एवं दाग नं0– 126 में रकवा 02 बीघा 06 कट्ठा 12 धूर जमीन सर्वे खतियान में विकनी बीबी के नाम से दर्ज है। विकानी बीबी आवेदक की परदादी है। बिकानी बीबी को एक लडका वनुरूद्दीन मिर्जा हुआ। बनीरूद्दीन मिर्जा के दो लड़का रफीजुद्दीन मिर्जा और किताबुद्दीन मिर्जा हुआ। आवेदक रफीजुद्दीन मिर्जा का लड़का है। उक्त भूमि बिकानी बीबी के वारिसानों के भोग दखल में चला आ रहा है, जिसमें विकानी बीबी के सभी वारिसान सोरना सादा एवं लाल धान लगाया है, जो कुछ दिनों में पक कर तैयार हो जायेगा। विपक्षीगण का खतियानी रैयत से कोई संबंध नहीं है। जोर जबरदस्ती आवेदक व उसके भाईयों को अनुसूची वाली जमीन से बेदखल कर धान के फसल को लुट–पाट करने की धमकी दे रहे है। विपक्षीगण आवेदक को धमकी दिया है कि जो कोई जमीन पर आयेगा उसको बम से उड़ा देंगे। विपक्षीगण असामाजिक तत्वों बहकावे में एवं मेल में लेकर आवेदक के शांतिपूर्वक दखल भोग में बाधा डाल रहा है। विपक्षीगण को कानून का जरा भी परवाह नहीं है तथा गोली, पिस्तौल, बम दिखाकर लुट पाट करने की धमकी दिया है, जिससे किसी भी समय खुन–खराबा करने पर उतारू है। जिससे शांति भंग की संभावना द्वितीय पक्षों से बनी हुयी है। अतएव जारी निषेधाज्ञा प्रथम पक्ष के हित में रिक्त एवं द्वितीय पक्ष के विरूद्ध सम्पुष्ट करने का प्रार्थना किया गया है।

जबाब में विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मौजा दरियापुर, जमाबंदी नं0– 48, दाग नं0– 60 का रकवा 01 बीघा 05 कट्ठा 08 धूर एवं दाग नं0– 61 में रकवा 01 बीघा 07 कट्ठा 04 धूर एवं दाग नं0– 126 में रकवा 02 बीघा 06 कट्ठा 12 धूर जमीन पर शांतिपूर्ण दखल–भोग में हैं एवं प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को उच्छेद करने की नीयत से यह वाद लाये हैं। प्रथम पक्ष इससे पूर्व दो बार न्यायालय के समक्ष आवेदन दिये है एवं सुनवाई के पश्चात निरस्त कर दिया गया था। प्रथम पक्ष के द्वारा अपने

Scanned with CamScanner

आवेदन में गलत वंशावली प्रस्तुत कर दावा प्रस्तुत कर रहे है। गत गेजर्स सर्वे में प्रश्नगत जमीन फेकु मोहम्मद एवं बिकानी बीबी के नाम से दर्ज है। लेकिन मन्तव्य कॉलम में बिकानी बीबी का नाम दर्ज है, जिससे स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत जमीन बिकानी बीबी के दखल कब्जा में रहा। बिकानी बीबी का वंशावली से स्पष्ट है कि द्वितीय पक्ष के लोग बिकानी बीबी के वारिश है एवं वारिसान सूत्र से प्राप्त कर भोग दखल में है एवं मालगुजारी का भुगतान करते आ रहे हैं। द्वितीय पक्ष के लोग अपना दावा तथा उत्तराधिकार को सम्पुष्ट करने के लिए एक स्वत्व वाद सं0 38/2009 दायर किये है, जो लंबित है। प्रथम पक्ष के द्वारा बार-बार वाद लाया जा रहा है, लेकिन अपने आपको खतियानी रैयत बिकानी बीबी से रिश्ता साबित करने में व्यर्थ रहे हैं। प्रथम पक्ष के लोग बिकानी बीबी के वंषज नहीं है, द्वितीय पक्ष के लोग वास्तविक वारिस है एवं दखलकार है तथा मालगुजारी का भुगतान कर रहे हैं। अतएव जारी निषेधाज्ञा प्रथम पक्ष के विरूद्ध सम्पुष्ट एवं द्वितीय पक्ष के हित में रिक्त करने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्षों द्वारा उपस्थापित कागजातों एवं उनके विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत बहस को सुना। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने से प्रतीत होता है कि मौजा दरियापुर के जमाबंदी नं0- 48 के दाग नं0- 60, रकवा 01 बीघा 05 कट्ठा 08 धूर, दाग नं0- 61, रकवा 01 बीघा 07 कट्ठा 04 धूर एवं दाग नं0- 126, रकवा 02 बीघा 06 कट्ठा 12 धूर जमीन को लेकर उभय पक्षों में तनाव उत्पन्न हो गया है एवं शांति व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गई है।

अतः तमाम स्थिति एवं परिस्थितियों पर सम्यक विचारोपरांत पाया जाता है कि मौजा दरियापुर के जमाबंदी नं0- 48 के दाग नं0- 60, रकवा 01 बीघा 05 कट्ठा 08 धूर, दाग नं0- 61, रकवा 01 बीघा 07 कट्ठा 04 धूर एवं दाग नं0- 126, रकवा 02 बीघा 06 कट्ठा 12 धूर जमीन को लेकर आवेदक द्वारा विवाद लाया गया है, जो माननीय सब जज प्रथम के न्यायालय, राजमहल में स्वत्व वाद सं0 38/2009 लंबित है। वर्तमान वाद में दखल संबंधी जो बिन्दु उठाये गये हैं वे माननीय सब जज प्रथम, न्यायालय राजमहल के न्यायालय में स्वत्व वाद सं0 38/2009 लंबित है। जब माननीय सिविल कोर्ट वाद पर विचार कर रहे हैं तो वर्तमान वाद के चलने का कोई औचित्य नहीं है।

अतएव इस निदेश के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अनुमंडल दण्डाधिकारी,
राजमहल

अनुमंडल दण्डाधिकारी,
राजमहल

Scanned with CamScanner